न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/54

विजय आयु 33 वर्ष आत्मज रामसहाय जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कंचन बाई आयु 56 वर्ष बेवा रामसहाय जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. किमत आयु 28 वर्ष आत्मज रामसहाय जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शकुन्तला आयु 35 वर्ष पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2019/251

विजय आयु 33 वर्ष आत्मज रामसहाय जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कंचन बाई आयु 56 वर्ष बेवा रामसहाय जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. किमत आयु 28 वर्ष आत्मज रामसहाय जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शकुन्तला आयु 35 वर्ष पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी कोलाहेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने एवं एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रेठोदा की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की खाता संख्या 375 के खसरा नम्बर 1547/169 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि हमारे संयुक्त खातेदारी की भूमि है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन कर दिया ताकि पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज हो सके ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालतम/कैम्प कोर्ट कोलाहेडा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2018 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को वाद समझकर दावे के रूप में दर्ज किया है और बिना किसी पक्षकार को तलब किये ही प्राथमिक डिक्री तैयार की गई है जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 05.09.2018 को हुई और उसी दिन उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर ली गई । तत्पश्चात् अभिभाषक से सम्पर्क कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था । इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधिका क्षम्य किया जावे ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्क्ट टू लिमिटेशन अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हिस्सा ही गलत कर दिया है तथा विभाजन भी नहीं किया है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है । उक्त जाति वर्ग में पुत्री को अपने पिता की भूमि पर

केवल अविवाहित होने तक ही अधिकार होता है विवाहोउपरान्त अपने पिता की सम्पत्ति से सम्पूर्ण अधिकार समाप्त हो जाते हैं । इस कारण रेस्पोडेन्ट कम 02 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना कानूनन आवश्यक है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी कंचन बाई ने एक प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 15.06.2018 को प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को वाद के रूप में दर्ज कर लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री और उसी दिनांक 15.06.2018 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी । लोक अदालत में एक ही दिनांक 15.06.2018 को बिना सहमति के एक पक्षीय डिक्री पारित करना न्यायिक प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत है । लोक अदालत में सहमति के आधार पर निर्णय किये जाते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने केवल वादिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2019/54 एवं 19/251 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण को वाद के रूप में दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा